न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/746

1. किशनलाल पुत्र श्री बालाबक्स उर्फ बल्लाराम जाति जाट, निवासी कारेलों की ढाणी, ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान।
2. रामेश्वर पुत्र श्री बालाबक्स उर्फ बल्लाराम जाति जाट, निवासी कारेलों की ढाणी, ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान।
3. अर्जुन लाल पुत्र श्री बालाबक्स उर्फ बल्लाराम जाति जाट, निवासी कारेलों की ढाणी, ग्राम किशोरपुरा तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर कार्यालय पता श्रीमाधोपुर तहसील कार्यालय परिसर, श्रीमांधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।
2. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर कार्यालय पता श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 23.12.2016 प्रकरण संख्या 01/2016, उनवानी तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पदमा वगै0 को अपास्त व निरस्त किये जाने तथा आदेश दिनांक 23.12.2016 की आड में की गयी नामान्तकरण की कार्यवाही व नामान्तकरण को अपास्त किये जाने हेतु।

उपस्थित :—

1. श्री प्रमोद कुमार मांडिया, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—30.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 23.12.2016 के खिलाफ प्रार्थना—पत्र 96 सी.पी.सी. व प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 26.05.2023 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा दिनांक 28.09.2016 को तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम किशोरपुरा में स्थित खातेदारी भूमि के आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 1.11 है0 में से रकबा 320 वर्गमीटर, 610 रकबा 1.01 है0 में से रकबा 320 वर्गमीटर, 608 रकबा 0.93 है0 में से रकबा 320 वर्गमीटर, 607 रकबा 1.24 है0 में से रकबा 384 वर्गमीटर, 538 रकबा 0.36 है0 में से रकबा 800 वर्गमीटर, 537 रकबा 0.48 है0 में से रकबा 266 वर्गमीटर, 539 रकबा 0.05 है0 में से रकबा 80 वर्गमीटर, 528 रकबा 0.45 है0 में से रकबा 240 वर्गमीटर, 529 रकबा 0.074 है0 में से रकबा 368 वर्गमीटर, 536 रकबा 0.55 है0 में से रकबा 290 वर्गमीटर, 535 रकबा 0.05 है0 में से रकबा 140 वर्गमीटर, 534 रकबा 0.53 है0 में से रकबा 368 वर्गमीटर, 530 रकबा 0.05 है0 में से रकबा 64 वर्गमीटर, 531 रकबा 1.05 है0 में से रकबा 305 वर्गमीटर में अवस्थित/प्रचलित रास्तों को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु एवं राजस्व रिकार्ड में रास्तें के रूप में दर्ज करने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 28.09.2016 को स्वीकार किया जाकर भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया गया कि उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2016 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 23.12.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट किशनलाल पुत्र श्री बालाबक्स उर्फ बल्लाराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 23.12.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2016 विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 538 पर काबिज काश्त होकर तथा पक्के मकानात बनाकर रिहायश करते हुए उपयोग–उपभोग करते आ रहे है तथा खसरा नम्बर 536 की भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अपीलार्थीगण उक्त वर्णित खसरा नम्बरों की भूमि में से जिस स्थान पर आम रास्ता अंकित/दर्शित किया है वहां कभी भी किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं रहा और ना ही वर्तमान में है उसके बावजूद भी उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश की आड में जिस जगह नक्शा ट्रेस में रास्ता दिखाया गया है वहां पर अपीलार्थीगण के पक्के मकानात व बाडे इत्यादि बने हुए है। अपीलार्थीगण के बने हुए पक्के मकानात के बीच से उक्त रास्ता निकालने के आदेश बिना अपीलार्थीगण को सूचना व नोटिस दिये उक्त आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगण के मकानात के दक्षिण दिशा में रास्ता होने के बावजूद उनकी अनदेखी करते हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की निष्पक्ष जांच रिपोर्ट करवाये तथा बिना मौके का निरीक्षण किये ही श्रीमान् तहसीलदार, श्रीमाधोपुर द्वारा पेश झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त आदेश पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। विधि का सुस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों तथा भूमि के खातेदारों को नोटिस दिया जाकर तथा प्रोपर तामील करवाकर सुनवाई का समुचित अवसर देकर तथा मौके की निष्पक्ष रिपोर्ट व उसका निरीक्षण कर तथा मौका रिपोर्ट कानूनी प्रावधानों के अनुसार बनाकर कानूनी प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित किया जाना चाहिए लेकिन श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उक्त कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुए उक्त आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थीगण की भूमि मे से गैर मुमकिन रास्ता निकालने बाबत् ना तो अपीलार्थीगण को कोई नोटिस भिजवाया गया तथा ना ही किसी नोटिस की तामील करवायी गयी तथा ना ही कभी किसी प्रकार का कोई रास्ता अपीलार्थीगण की भूमि में जिस जगह दर्शित किया गया है वहा रास्ता रहा है, अर्थात जहां पर रास्ता दर्शित किया गया है वहा पर अपीलार्थीगण के पक्के मकानात इत्यादि बने हुए है। उसके बावजूद भी बिना मौके का भौतिक सत्यापन करवाये ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से व अवैधानिक होने के कारण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है। उक्त आदेश से अपीलार्थीगण की खातेदारी व विधिक अधिकार प्रभावित होगें तथा अपीलार्थीगण के मकानात टूटने के कारण अपीलार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी रूप में नहीं हो सकेगी इसलिये उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2016 को न्याय हित में अपास्त किया जाना आवश्यक व प्रार्थनीय है। अपीलार्थीगण के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 538 व 536 में जिस जगह रास्ता होना अंकित किया है वहां कभी भी किसी प्रकार का रास्ता या आम रास्ता नहीं रहा है। उसके बावजूद भी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 538 में अपीलार्थी अर्जुन लाल के बने हुए पक्के मकानात के बीच से रास्ता होने का अंकन/दर्शित करते हुए नक्शा ट्रेस व रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के समक्ष पेश की गयी तथा राजनैतिक व प्रभावी लोगों के प्रभाव में आकर अपीलार्थीगण के बने हुए पक्के मकानात के बीच में से रास्ता निकालने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पेश झूठी रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उक्त आदेश की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलार्थीगण के मकानात को ध्वस्त करने व रास्ता निकालने पर उतारू है। उक्त आदेश बिना मौके का सत्यापन करवाये तथा बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आदेश पारित किया गया है। इसलिये उक्त आदेश दिनांक 23.12.2016 को निरस्त किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पेश रिपोर्ट दिनांक 28.09.2016 के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में देखने मात्र से ही स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 538 के बीचों बीच से रास्ता होने की झूठी रिपोर्ट पेश की गयी है। उक्त नक्शा ट्रेस में जो सीधी लाईन दिख रही है वहां से रास्ता होने के बावजूद भी राजनैतिक प्रभाव व प्रभावी लोगों के प्रभाव में आकर रास्ते को घुमाते हुए अपीलार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के बीच जहां पर अपीलार्थी अर्जुन लाल के पक्के मकानात बने हुए है वहां से रास्ता होना उल्लेखित करते हुए रिपोर्ट पेश की गयी तथा केवल मात्र उक्त झूठी रिपोर्ट के आधार पर बिना अपीलार्थीगण को किसी प्रकार की कोई सूचना दिये व नोटिस दिये ही उक्त आदेश दिनांक 23.12.2016 पारित किया गया है जो कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुए पारित किया गया है जिसको अपास्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक व प्रार्थनीय है।

अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के आदेश दिनांक 23.12.2016 की जानकारी किसी भी प्रकार से नहीं रही और ना ही दी गयी उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 05.05.2023 को होने पर अपीलार्थीगण ने उक्त प्रकरण की पत्रावली की प्रमाणित प्रति व आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जिस पर अपीलार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी हुई। आदेश दिनांक 23.12.2016 की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं होने से गुजरा समयावधि व आदेश दिनांक 23.12.2016 की जानकारी दिनांक 05.05.2023 को होने पर दस्तावेज व आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर बिना किसी प्रकार की देरी किये माननीय न्यायालय में निर्धारित समयावधि में उक्त अपील पेश की गयी है तथा आदेश दिनांक 23.12.2016 की जानकारी नहीं होने से गुजरा समयावधि को माफ किये जाने हेतु श्रीमान् के न्यायालयं में अपील के साथ विलम्ब अवधि क्षमा किये जाने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का अलग से पेश किया गया है जिसको स्वीकार किया जाना आवश्यक व प्रार्थनीय है जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद पेश है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 23.12.2016 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 23.12.2016 प्रार्थना पत्र संख्या 1/2016 उनवानी तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पदमा पुत्र नानगा वगै0 किशोरपुरा को अपास्त व निरस्त कर उसकी आड में की गयी नामान्तकरण की कार्यवाही व नामान्तकरण संख्या 256 दिनांक 22.08.2017 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2016 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 05.05.2023 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा दिनांक 28.09.2016 को तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम किशोरपुरा में स्थित खातेदारी भूमि के आराजी खसरा नम्बर 601 रकबा 1.11 है0 में से रकबा 320 वर्गमीटर, 610 रकबा 1.01 है0 में से रकबा 320 वर्गमीटर, 608 रकबा 0.93 है0 में से रकबा 320 वर्गमीटर, 607 रकबा 1.24 है0 में से रकबा 384 वर्गमीटर, 538 रकबा 0.36 है0 में से रकबा 800 वर्गमीटर, 537 रकबा 0.48 है0 में से रकबा 266 वर्गमीटर, 539 रकबा 0.05 है0 में से रकबा 80 वर्गमीटर, 528 रकबा 0.45 है0 में से रकबा 240 वर्गमीटर, 529 रकबा 0.074 है0 में से रकबा 368 वर्गमीटर, 536 रकबा 0.55' है0 में से रकबा 290 वर्गमीटर, 535 रकबा 0.05 है0 में से रकबा 140 वर्गमीटर, 534 रकबा 0.53 है0 में से रकबा 368 वर्गमीटर, 530 रकबा 0.05 है0 में से रकबा 64 वर्गमीटर, 531 रकबा 1.05 है0 में से रकबा 305 वर्गमीटर में अवस्थित/प्रचलित रास्तों को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु एवं राजस्व रिकार्ड में रास्तें के रूप में दर्ज करने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को भिजवाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर को आदेशित किया गया कि भिजवाई गई रिपोर्ट के अनुसार रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों एवं प्रस्तावित रास्ता प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार किया जाकर भूमि नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावें तथा उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार के खाते में ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2016 पारित किये गये। अपीलान्ट्स को नोटिस दिनांक 04.11.2016 के द्वारा दिनांक 28.11.2016 को कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र किशोरपुरा में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया था। तामील कुलिन्दा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि यह नोटिस लेने से सहमत नही है। यह नोटिस किसने निकलवाये है उनका नाम पता बताये। जिससे प्रतीत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई हेतु अवसर दिया गया है। खातेदारन में से कोई खातेदार उपस्थित नहीं आये ओर ना ही कोई आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.12.2016 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2016 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.12.2016 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.12.2016 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर